# न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

**जी0आर0सं0ः–583/2020**

**गोह थाना कांड संख्या ः–98/2020**

12.01.2021 आवेदकगण/अभियुक्तगण नामतः उमेश यादव एवं सुरेन्द्र कुमार न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है । सूचक की ओर से शक्ति पत्र के साथ संधि हेतु अनुमति आवेदन एवं उभय पक्ष की ओर से संयुक्त संधि आवेदन दाखिल किया गया है ।

वाद पुकार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदकगण निर्दोष है और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । आवेदकगण की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है। आवेदकगण के विरूद्ध दर्ज धाराओं में धारा 307 एवं 379 भा0दं0सं0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है तथा उक्त धारा वाद को अजमानतीय बनाने हेतु लगाया गया है । उभय पक्ष के बीच सुलह हो गया है तथा इस जमानत आवेदन के साथ सुलह हेतु अनुमति आवेदन एवं उभय पक्ष की ओर से संयुक्त संधि आवेदन दाखिल किया गया है । उक्त वाद गोह थाना कांड संख्या–97/2020 का पलटा वाद है, जिसमें भी संधि हो गया है । उक्त वाद के अन्य अभियुक्तगण का जमानत इस न्यायालय द्वारा दिया गया है । अतः आवेदकगण को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते है ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि आवेदकगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 323, 325, 307 एवं 379 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है । उभय पक्ष आपस में गोतिया है । उभय पक्ष में संधि हो गई है । संयुक्त संधि आवेदन अभिलेख पर दाखिल है । आवेदकगण दिनांकः–15.07.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है । उक्त वाद का पलटा वाद गोह थाना कांड संख्या–97/2020 में भी संधि हो गया है । उक्त वाद के अन्य अभियुक्तगण का जमानत इस न्यायालय द्वारा दिया गया है । अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं संधि के तथ्य को ध्यान में रखाते हुए आवेदकगण का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक को मो0–10000x2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।